कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची ।

पत्रांकः– 1315 दिनांकः– 16.12.15

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– मेसर्स यू0सी0आई0एल0 जादूगोड़ा माईनिंग लीज का, जमशेदपुर वन प्रमंडल के अन्तर्गत मौजा– ईचड़ा, मेचुआ एवं भाटिन में 100.681 हे0 भूमिगत एवं 33.743 हे0 सतही कुल 134.424 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :– (1) आपका कार्यालय पत्रांक वनभूमि–21 / 2015–5853 दिनांक 19.11. 2015.
(2) मेसर्स यू0सी0आई0एल0, जादूगोड़ा का पत्र संख्या UCIL/SM(Mines)/Forest/11/2015 दिनांक– 14.12.2015.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक 1175 दिनांक 16.10.15 के आलोक में सूचित करना है कि विषयगत वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव में आपके प्रासंगिक पत्र द्वारा की गई पृच्छा का निराकरण के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के संबंधित पदाधिकारियों से सम्पर्क कर **MOEF** के **Website** में निम्न त्रुटियों का निराकरण प्रतिवेदन उनके पत्र संख्या UCIL/SM(Mines)/Forest/11/2015 दिनांक– 14.12.15 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा समर्पित किया हैः–

1. **Form B** के कंडिका **A-4** में पूर्व स्वीकृत भूमि का सुधार **MOEF** द्वारा कर दिया गया है, वर्तमान में कंडिका **A-4 – Details approvals under the forst conservation Act, 1980 accorded in part** में प्रयेाक्ता अभिकरण द्वारा **area of Forest Land diverted 154.464** हे0 अंकित है।
2. **Website** पर किए गए प्रपत्र फार्म– बी के पार्ट– **I** के **heading** में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा **MoEF** से सम्पर्क कर सुधार किया है। वर्तमान में **heading – Form for seeking prior approval under section – 2 of the proposals by the State Government and other authorities in respect of renewal of leases which has been earlier granted clearance under Forest Conservation Act, 1980** अंकित है।

(82)

3. वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर के द्वारा **Form – B** के **part – iii** में क्रमांक 10 से 12 के स्थान पर क्रमांक 14 से 16 में अपना अनुशंसा अंकित कर भरी गयी है। जिन विषयों पर वन संरक्षक का मंतव्य अंकित किया जाना है उन विषयों पर वन संरक्षक का मंतव्य **correct** है इस लिये वन संरक्षक के द्वारा **part – iii** के क्रमांक के टंकण में हुई त्रुटि कोई चिन्ता का विषय नहीं है।

4. मेसर्स यू0सी0आई0एल0 के पक्ष में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत दी गई प्रथम तथा द्वितीय (अंतिम में) स्टेज की स्वीकृति से संबंधित पत्र क्रमशः भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या– **F.No-8-49/97-FC** दिनांक 24.07.1997 एवं पत्र संख्या **F.No-8-49/97-FC** दिनांक 20.04.1998 वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमशेदपुर द्वारा भरी गयी पार्ट– **II** के **additional information** के **serial no. – 1** में संलग्न है।

इस कार्यालय के पत्रांक– 1157 दिनांक 16.10.15 द्वारा भेजी गयी अन्य सूचना एवं प्रतिवेदन यथावत् समझा जाए। पुनः उक्त पत्र एवं प्रस्ताव की तीन मूल प्रति संलग्न कर अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

विश्वासभाजन
ह0/–

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक.................... **दिनांक........................**

प्रतिलिपिः– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची को संशोधित **Form- B** के पार्ट–**I** की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–
प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची ।

ज्ञापांक 1315 **दिनांक** 16.12.2015

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर/वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमशेदपुर/महाप्रबंधक (खान), जादूगोड़ा माइन्स, सिंहभूम (पूर्व), झारखण्ड–832102 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

16/12/2015

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची ।

कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रॉंची ।

पत्रांकः– 73 दिनांकः– 20-1-16

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।

विषय :– यू0सी0आई0एल0 जादूगोड़ा/भाटिन माईन्स पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर वन प्रमंडल के अन्तर्गत मौजा– ईचरा, मेचुआ एवं भाटिन में 100.691 हे0 भूमिगत एवं 33.743 हे0 सतही कुल 134.424 हे0 भूमिगत अपयोजन के नवीकरण प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर के पत्रांक– 2339 दिनांक– 05.11.15 की छायाप्रति अनुलग्नकों के साथ संलग्न करते हुए सूचित करना है कि विषयगत वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव में प्रस्तावित लीज क्षेत्र में पड़ने वाली वन भूमि के अतिरिक्त रैयती भूमि एवं सरकारी भूमि खतियान में जंगल–झाड़ी के रूप में दर्ज नहीं है।

सादर सूचनार्थ एवं अग्रतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0 यथोक्त ।

विश्वासभाजन
ह0/–

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, रॉंची।

ज्ञापांक– 73 दिनांक– 20.1.16

प्रतिलिपि – क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर को उनके पत्रांक– 2339 दिनांक 05.11.15 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, रॉंची।